संख्या-95/2019/1518/22-2-2019-17(846)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री तेजी, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-20.11.2018) दिनांक 08.01. 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम सिंह पुत्र श्री तेजी, जो- सुमरावा, थाना-सकरन जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 27.12.1998 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलीमारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-190/1999,301/2000 धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश (ई0सी0)एक्ट सीतापुर के आदेश दिनांक 20.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक दिनांक 01.10.2018 तक 13 वर्ष 00 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 05 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गाठित समिति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा छुटने पर समाज में व्यापक विपरीत प्रभाव पडने, पुन: अपराध कारित किये जाने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, तथा जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का उल्लेख करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु काटी गयी सजा, एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम सिंह (बंदी संख्या-44189) पुत्र श्री तेजी, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-95/2019/1518(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in